

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया- गांधीनगर

विलय के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया

एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां अपने एलओपी/एलओपी को अन्य एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों (एक ही कंपनी से संबंधित) के साथ विलय कर सकती हैं, जो एफटीपी की प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.34 (जे) के अनुसार अन्य कंपनी की एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों के साथ विलय हो गई हैं। विलय की गई इकाई का एलओपी अस्तित्व में नहीं रहेगा।

एसटीपी :ईएचटीपी इकाइयों के विलय के लिए एसटीपीआई के पास दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज/

1. दोनों इकाइयों/कंपनियों से अनुरोध पत्र
2. हस्तांतरणकर्ता के अनुबंध 23 ए और स्व-प्रमाणित अनुबंध 21 के अनुसार स्थापना के बाद से सीए प्रमाणित प्रदर्शन विवरण।
3. न्यायालय के आदेश/एनसीएलटी आदेश/व्यवसाय हस्तांतरण समझौते की प्रति
4. विलय के संबंध में दोनों कंपनियों के बोर्ड के प्रस्ताव
5. हस्तांतरिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित प्रारूप के अनुसार 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणापत्र
6. जापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद की प्रति, कंपनी के निदेशकों/निवेशकों की सूची, हस्तांतरिती के आरओसी, पैन और आईईसी
7. इकाई (हस्तांतरक) के निम्नलिखित मूल एसटीपीआई को सौंपे जाने आवश्यक हैं:
ए) अनुमति पत्र और एलओपी अनुमोदनों का बाद में नवीनीकरण
बी) कानूनी वचनबद्धता (एलयूटी) और पूरक कानूनी वचनबद्धता
सी) ग्रीन कार्ड
डी) अनुमोदित सत्यापित सीजी सूची
8. इकाई को लंबित सेवा शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना चाहिए।

अनुमोदन प्रक्रिया :

उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर निम्नलिखित मापदंडों का सत्यापन किया जाएगा:-

- वैधानिक अनुपालन, जैसे एपीआर, क्यूपीआर, आदि प्रस्तुत करना।
- स्थापना की तिथि से निर्यात दायित्व / एनएफई स्थिति।
- सॉफ्टवेक्स प्रस्तुतीकरण/प्रमाणन स्थिति।
- सेवा शुल्क बकाया राशि का भुगतान, यदि कोई हो।

यदि उपरोक्त पैरामीटर सही/पूरे पाए जाते हैं तो विलय के लिए एनओसी जारी की जाएगी।

प्रारूप :

- 1 [अनुलग्नक -23ए \(एसटीपी\)](#)
- 2 [अनुलग्नक -23ए \(ईएचटीपी\)](#)
- 3 [अनुलग्नक 21](#)
- 4 [विलय के लिए घोषणा](#)

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया- गांधीनगर

कार्यान्वयन एजेंसी में बदलाव के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया

एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां अपने परिचालन को नई कार्यान्वयन एजेंसी/कंपनी के नाम पर स्थानांतरित कर सकती हैं, जो कि कंपनी के विलय/अधिग्रहण के कारण हुआ हो।

कार्यान्वयन एजेंसी में बदलाव के लिए एसटीपीआई के पास दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज :

- 1 दोनों इकाइयों/कंपनियों से अनुरोध पत्र
- 2 हस्तांतरणकर्ता के अनुलग्नक 23 ए के अनुसार सीए प्रमाणित प्रदर्शन विवरण
- 3 न्यायालय आदेश/एनसीएलटी आदेश/व्यवसाय हस्तांतरण समझौते की प्रति
- 4 कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन के संबंध में दोनों कंपनियों का बोर्ड संकल्प
- 5 हस्तांतरिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित प्रारूप के अनुसार 200/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर घोषणापत्र
- 6 जापान और एसोसिएशन के अनुच्छेद की प्रति, कंपनी के निदेशकों/निवेशकों की सूची, हस्तांतरिती का आरओसी, पैन और आईईसी
- 7 नए आयातक निर्यातक कोड प्रमाणपत्र की प्रति।
- 8 नए स्थायी खाता संख्या की प्रति।

अनुमोदन प्रक्रिया :

उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद निम्नलिखित मापदंडों का सत्यापन किया जाएगा -:

- वैधानिक अनुपालन, जैसे कि एपीआर, क्यूपीआर आदि प्रस्तुत करना।
- आरंभ की तिथि से निर्यात दायित्व / एनएफई स्थिति।
- सॉफ्टवेक्स प्रस्तुति / प्रमाणन स्थिति।
- सेवा शुल्क बकाया राशि, यदि कोई हो, का निपटान।

यदि उपरोक्त पैरामीटर सही कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन के लिए एनओसी जारी की जाएगी। पूरे पाए जाते हैं तो/

प्रारूप :

- 1 [अनुलग्नक -23ए \(एसटीपी\)](#)
- 2 [अनुलग्नक -23ए \(ईएचटीपी\)](#)
- 3 [कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन के लिए घोषणा](#)

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए :

हमें मेल करें :GNR.EXIM@stpi.in

संपर्क करें 079-66748531, 32